कुलसचिव कार्यालय
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ–अनुसंधान संस्थान, मथुरा–281001

पत्र सं0 983 /यूपीडीडीवीयू/आर–(यू0जी0ई0ई0–2025) दिनॉकः 29, जुलाई, 2025

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रमों (B.Tech Dairy Technology/Bachelor of Fisheries Science) में यू0जी0ई0ई0–2025 के आधार पर प्रथम व द्वितीय चरण की काउसिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु दिनांक 06.08.2025 को तृतीय चरण की ऑफलाइन काउसिंलिंग हेतु आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु यू0जी0ई0ई0–2025 के आधार पर प्रथम व द्वितीय चरण की काउसिलिंग के उपरान्त निम्नानुसार रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु **तृतीय चरण** की काउसिलिंग **दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 9:00 बजे से विश्वविद्यालय के पं0 दीन दयाल उपाध्याय समागार** में की जाएगी। ऑफलाइन काउंसलिंग की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है व अन्य किसी माध्यम से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

Sr. No	Course	Original Category/ Sub category	No. of vacant Seat
1	B. Tech (Dairy Technology)	EWS Category	01
		Girls Seat: OBC Category	01
2	Bachelor of Fisheries Sciences	EWS Category	03
		OBC Category	06
		Girls Seat: OBC Category	01
		Total	**12**

रिक्त सीटों पर तृतीय चरण की काउसिलिंग हेतु निम्नानुसार रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही काउसिंलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	दिनांक	कैटेगरी	रैंक
1	06 अगस्त 2025	ओ0बी0सी0	यू0जी0ई0ई0–2025 प्रवेश परीक्षा की कैटेगरी रैंक 273 से 310 तक
		ई.डब्लू.एस	यू0जी0ई0ई0–2025 प्रवेश परीक्षा की कैटेगरी रैंक 141 से 200 तक

Sr.No	Dates	Category	Rank
1	06 August 2025	OBC	UGEE-2025 Entrance Examination Category rank 273 to 310
		EWS	UGEE-2025 Entrance Examination Category rank 141 to 200

वह अभ्यर्थी जो प्रथम व द्वितीय चरण की काउसिंलिंग हेतु आमंत्रित किए गए थे व उपरोक्त श्रेणी के हैं परन्तु किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे, यदि वह इच्छुक हैं तो प्रवेश हेतु दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 9:00 बजे तृतीय चरण की होने वाली काउसिंलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।

अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका में अंकित रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।

नोट– विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।

अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर काउसिंलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें। यात्रा में किसी भी प्रकार का विलम्ब/व्यवधान होने या काउसिंलिंग में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगें। अभ्यर्थी "Application form for admission" भरकर सभी प्रमाण–पत्रों की पाँच प्रति संलग्न कर, मूल प्रमाण–पत्रों व निर्धारित शिक्षण शुल्क की व्यवस्था कर काउसिंलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेगें।

काउसिंलिंग हेतु निम्नलिखित निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ कर उसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है।

1. ऑफलाइन काउसिंलिंग का कार्य पूर्ण होने में समय लग सकता है व दूसरे दिवस भी उसी क्रम में काउसिंलिंग हो सकती है। जिस कारण अभ्यर्थी को एक दिन से अधिक रुकना पड सकता है। अतः अपने ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी अपने स्तर से करेंगें। **विश्वविद्यालय इस हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं होगा।**
2. काउसिंलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों का पंजीकरण प्रथम दिवस **दिनांक 06 अगस्त 2025** को ही होगा। विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।
3. प्रवेश हेतु काउसिंलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से प्रथम दिवस पर उपस्थित नहीं होता है व प्रथम दिवस में काउसिलिंग हेतु पंजीकरण नही कराता है तो **द्वितीय दिवस में काउसिंलिंग हेतु पंजीकरण नहीं किया जाएगा।**
4. ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण प्रथम दिवस पर नही हुआ है वह काउसिंलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
5. अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु काउसिंलिंग प्रकिया विभिन्न अवस्थाओं (Stages) जैसे कि काउसिंलिंग हेतु पंजीकरण, मेरिट अनुसार उपस्थिति, प्रमाण पत्रों की जॉच, सीट आवंटन, चिकित्सकीय परीक्षण, पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना, छात्रावास आवंटन, परिचय प्रमाण पत्र डेटा संग्रहण, ऐन्टी रैगिंग शपथ पत्र का ऑनलाइन अपलोड किया जाना इत्यादि में होगी।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश की प्रक्रिया प्रथम दिवस पर पूर्ण नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थी को दूसरे दिवस काउसिंलिंग स्थल पर उपस्थित हो कर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश प्रकिया पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।
7. यदि अभ्यर्थी की काउसिंलिग प्रथम दिवस पर पूर्ण नहीं हुई है और वह द्वितीय दिवस पर अनुपस्थित है तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जाएगा।
8. अभ्यर्थी के काउसिंलिंग स्थल से गायब होने या बुलावे पर अन्यत्र चले जाने अथवा बुलावे पर अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को सीट चयन की प्रकिया से वंचित कर दिया जाएगा।
9. सीट आवंटन के उपरान्त तुरन्त पूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा आवंटित सीट को रद्द कर दिया जाएगा।

उपरोक्त चरण की काउंसिंलिंग के उपरान्त सीटें रिक्त होने पर ही अगले चरण की काउसिलिंग की जाएगी। जिसकी सूचना पृथक रुप में विश्ववविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अन्य किसी माध्यम से काउसिंलिंग की सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी।

कुलसचिव

ऑफलाइन काउसिंलिंग हेतु अनुदेश

कृपया ध्यान दें:– ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु अनुदेश में मांगे गये मूल प्रमाण–पत्रों के अभाव में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा

यू0जी0ई0ई0–2025 के आधार पर स्नातक (बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी/बी0एफ0एससी) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु तृतीय चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग **दिनांक 06 अगस्त 2025 को प्रातः 09:00 बजे** विश्वविद्यालय के पं0 दीन दयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क रू0 500/– प्रति छात्र देना होगा। यदि आप निर्धारित तिथि व समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे तो यह समझा जायेगा कि आप प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं है। यात्रा में होने वाले विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः काउसिंलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। काउसिंलिंग के दौरान समस्त सीट पर यू0जी0ई0ई0–2025 प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर ही चयन की कार्यवाही कर प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण–पत्र मूलरूप में तथा "Application form for admission" के साथ प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियों को पाँच सैट में लाना अनिवार्य है–

- प्रवेश प्रारूप (Application form for Admission) जो नीचे दिया गया है, को स्पष्ट बड़े अक्षरों में भर कर प्रमाणित रंगीन फोटो चिपका कर साथ लावें एवं प्रारूप के साथ मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां अवश्य संलग्न करें।
- हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।
- इण्टरमीडिएट का प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।
- आधार कार्ड।
- चार पासपोर्ट साइज फोटो।
- यू0जी0ई0ई0–2025 परीक्षा का प्रवेश–पत्र व परिणाम पत्र (Result card)
- उस विद्यालय/विश्वविद्यालय जहां से आपने अन्तिम शिक्षा पाई हो, का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र एवं प्रवजन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन प्रमाण–पत्र)
- यदि आप अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम सम्बन्धित प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।
- यदि आपके अध्ययन काल में कोई अन्तराल (Gap) हो तो अन्तराल (Gap) के कारण का स्पष्टीकरण (शपथ पत्र) जो पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित हो काउंसलिंग के समय अवश्य साथ लायें । (Annexure-I)
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र ।
- यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी है तो सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- यदि आप AF/FF/UEW वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम सम्बन्धित प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।
- पिता/संरक्षक का नवीनतम (वर्ष 2025) आय–प्रमाण पत्र ।
- प्रोसपेक्टस के (Annexure-G, G(a), G(b) व H) पर अंकित प्रारूपो का अलग–अलग दस रूपये के शपथ पत्र जो पब्लिक नोटरी के द्वारा सत्यापित होना चाहिये, काउंसलिंग के समय साथ लाये ।
- प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा प्रोसपेक्टस में दर्शित प्रवेश शुल्क एवं अन्य मदों में जमा की गई धनराशि विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस 2025 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही प्रतिदाय (Refund) की जाएगी।

कृपया उपरोक्त प्रमाण पत्र जो आपसे संबंधित हो, अपने साथ लाना अनिवार्य है। इनके अभाव में आप काउसिंलिंग सें वंचित कर दिये जायेंगे। साथ ही आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्र वास्तविक एवं सत्य हों क्योंकि इन प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी और यदि आपके प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये गये तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा व आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों एवं आपकी शारीरिक जांच रिपोर्ट को उपयुक्त पाये जाने पर ही आपके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।

कुलसचिव
29/7/2025

फीस से सम्बन्धित जानकारी

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यू0जी0ई0ई0–2025 की काउंसलिंग में प्रोसपेक्टस के पृष्ठ सं0 42 से 44 पर दी गयी शिक्षण शुल्क तालिका अनुसार शिक्षण शुल्क तुरन्त जमा करना आवश्यक होगा। फीस जमा न करने के अभाव में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

बी0टेक (डेयरी टेक्नोलॉजी)/बैचलर ऑफ फिशरीज सांइस (B.F.Sc) में प्रवेश के समय शुल्क

(Hostel will be allotted subject to availability)

कोर्स	फीस (रूपया)
B.Tech (Dairy Technology)/B.F.Sc हॉस्टल सहित	44,550.00+3850(Hostel Charges) = 48,400.00
B.Tech (Dairy Technology) /B.F.Sc बगैर हॉस्टल	44,550.00

सभी सीट पर प्रवेश यू0जी0ई0ई0–2025 (प्रवेश परीक्षा) की मेरिट, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प (choice) व श्रेणी (category) के आधार पर होगा। समस्त सीटों पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त करते हुए मेरिट अनुसार अगले अभ्यर्थी को सीट आंवटित कर दी जाएगी।

Fee payment procedure शुल्क जमा करने की प्रकिया:

शुल्क हेतु कोई भी चैक (cheque) स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। सीट आवंटन होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क जमा किया जाए।

1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क कैश के रुप में जमा किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रुप में जमा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट **'वित्त अधिकारी, वेटरिनरी विश्वविद्यालय,मथुरा'** (Finance Officer, DUVASU, Mathura) के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की मथुरा शाखा पर देय होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क **RTGS/NEFT/UPI** के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इस हेतु निम्नलिखित जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।

B.Tech (Dairy Tech.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER DAIRY SCIENCE
A/C	147501000000125
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

B.F.Sc पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER FISHERIES SCIENCE
A/C	147501000000126
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

प्रमाण पत्र निम्न अनुसार क्रमवार लगाए जाए

निम्नानुसार कम सं0 1 से 14 (पाँच सेट)
1. **Application Form for Admission** (पूर्णतया बडे अक्षरों में भर कर)
2. हाईस्कूल अंक तालिका
3. हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
4. इण्टरमीडिएट अंक तालिका
5. इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
6. उ0प्र0निवास प्रमाण पत्र
7. पिछडी जाति/अनु0जाति/अनु0जनजाति/EWS प्रमाण पत्र (श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)
8. आय प्रमाण पत्र
9. आधार कार्ड
10. दिव्यांग प्रमाण पत्र (दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)/स्वतंत्रता सग्राम सेनानी/सैनिक प्रमाण पत्र (उपश्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)
11. स्थानांतरण प्रमाणपत्र अथवा प्रवजन प्रमाण पत्र (जहाँ से अन्तिम शिक्षा पाई हो)
12. चरित्र प्रमाण पत्र
13. शपथ पत्र अनुशासन (Annexure G, G(a), G(b) व H)
14. शपथ पत्र गैप (Annexure I)

U.P.Pt Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidhalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan (DUVASU), Mathura-281001

APPLICATION FORM FOR ADMISSION

B.V.Sc.&A.H. /B. Tech (Biotechnology) / B.Tech (Dairy Technology)/B.F.Sc

SESSION 2025-26

Name of the Programme ....

Attested photo

1. Name of the applicant (block letters)

in English...

in Hindi...

2. Nationality..
3. Name of the father and address with occupation..

....

4. Mother's name ....
5. Aadhar No..
6. Mailing postal Address..

7. Permanent address..

District....................................State...Pincode.........................

8. Tel No. with STD Code...Mobile No...................................
E-Mail.. ....……………………………….....

9. (a) Date of birth .... (b)Age.............Year...........Month.............Days............
10. Examinations passed

Examination	Name of the Board/ Institution/ University	Year of passing	Division /Percentage/ OGPA/CGPA	Number of attempts
1	2	3	4	8
High School/ Secondary				
Intermediate/ Higher Secondary				
Graduation				
Post Graduation				

Note: a. In not relevant parts, please write "not applicable"
b. Application form should be complete in all respects and must be accompanied by attested copies of all the certificates and mark sheets as proof of the educational qualifications.

11. Have you ever represented in a district /University or State level competition? If so attach documentary proof. **YES/NO**

12. Do you belong to any Reserved Category? Please specify and attach a certificate from the Competent Authority to that effect. **YES/NO**

13. Have you ever been debarred from any Institution? **YES/NO**

14. Do you have any gap of time after leaving the Institution last attended and admission in this university? How do you account for the intervening period? Pl. Enclose an affidavit. **YES/NO**

15. Total income of guardian/parents .... per month/per year.

16. Details of documents attached
1..
2..
3..
4..
5..
6..

IMPORTANT INSTRUCTIONS

The undernoted declarations should be signed by the student and the parent/guardian of the student, respectively otherwise the application will be rejected outright.

DECLARATION BY THE STUDENT

I hereby declare that I have read the instructions given in the Prospectus and I agree to abide by them.

I also declare that the information furnished by me is correct and no information has been withheld. I understand that withholding of any of the relevant information or giving false information renders me liable to dismissal from the University.

I hereby affirm that, if admitted. I shall strictly abide by all the rules and regulations of the University concerning studies, discipline in the college, hostel, library and any other place inside or outside the University campus. I also undertake that I shall not take part in any act of indiscipline or misbehaviour in any form or manner. I shall do my best to uphold the honour, prestige and reputation of the University. I shall devote myself whole heartedly to my studies and assure that, under no circumstances I shall fall below the standards prescribed by the University. I understand that I am liable to be dropped if any academic performance falls below the prescribed standard or if I am found guilty of misbehaviour or indiscipline.

Place........................... **Signature of applicant in full in English**

Date...........................

ANNEXURE-A

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट / प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु0...पुत्र / पुत्री............................... निवासीः गॉव / शहर ....नगर ....जिला.....................प्रदेश............................... जन्म............................... जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति / जनजाति आदेशः संशोधन एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित जाति / जनजाति है।

स्थानः .... हस्ताक्षरः..

दिनांकः .... नामः...

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर मोहरः

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

ANNEXURE-B

अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण–पत्र

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..........................पिता / माता श्री / कु0......................... उत्तर प्रदेश के गॉव / शहर....................तहसील.........................जिला..................................के स्थायी निवासी है तथा श्री / कु0.............................. ......अपने पिता / माता पर पूर्णतया आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता / पिता के हस्ताक्षर हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट.................
.

दिनांकः .... नामः........................

स्थानः .... मोहरः

ANNEXURE-C

उत्तर प्रदेश से स्वतन्त्रता सैनानियों (Sub Category FF)

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0............................श्री/श्रीमती................................ निवासी.....................के पुत्र/पुत्री/पुत्री के पुत्र/पुत्र की पुत्री (अविवाहित) है। श्री/श्रीमती.................................. ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण– जो लागू न हो उसे काटने का कष्ट करें।

- कम से कम दो माह की वास्तविक अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो या
- नजरबंदी या अण्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास रहे हों या
- कम से कम 10 बेंतों की सजा पाई हो, या
- फरार घोषित हुआ हो, या
- गोली से घायल हुआ हो, या
- वीरगति प्राप्त की हो, या
- ऐसे व्यक्ति भी जो पेशावर काण्ड के रहे हो, या
- भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो, या
- भूतपूर्व इंडिया इंडिपिंडेंस लीग के प्रमाणित सदस्य हो, या

टिप्पणीः ऐसे व्यक्ति जिन्होने माफी मॉगी हो, उक्त परिभाषा में सम्मिलित नही माने जाएगे।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती...............................उपरोक्त स्वतन्त्रता सैनानी श्री............................ के पुत्र/पुत्री है अथवा उनके पौत्र/पौत्री है तथा वह उन पर वास्तव में आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता/पिता के हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट........................

नामः..

मोहरः

ANNEXURE-D

उत्तर प्रदेश सेना दल (Sub Category AF)

(सक्रिय सेवा अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के लिए प्रमाण पत्र)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0...........................पुत्र/पुत्री................................ निवासी/गॉव/शहर ....

तहसील..........................जिला..................................प्रदेश.....................दिनांक............................को सेवा निवृत्त/युद्ध में मारे

गए/अपंग हो गए। वे उस समय थलसेना/जलसेना/वायुसेना..............................के.............................पर कार्यरत थे।

दिनांकः.....................................

स्थानः......................................

यूनिट कमान्डिंग आफिसर के हस्ताक्षर

मोहरः

ANNEXURE-E

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री श्री . ...निवासीः गॉव..................................तहसील..................................नगर..................................जिला. ....उत्तर प्रदेश................................राज्य की... पिछडी जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी................................उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम सूचना संख्या 22–16–92 का 2–95 दिनांक 8–12–95 में उल्लिखित अनुसूची–दो से आच्छादित नही है।

श्री / कुमारी / श्रीमती..............................तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.......................तहसील....................... नगर जिला............................में सामान्यतया रहता है।

स्थानः ....

हस्ताक्षरः..

दिनांकः ....

नामः..

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोहरः

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

ANNEXURE-G

AFFIDAVIT BY THE STUDENT
(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)

I..registration no. .... (S/o D/o Mr./Mrs/Ms) ....…...................................having been admitted to…..…………… have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the "Regulations") Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- I hereby solemnly aware and undertake that
- I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations
- I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations.
- I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to Clause 9.1 of the Regulations. Without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law for the time being in force.
- I hereby declare that I have not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is founded to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this……………………day of………………..month of………………….year.

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at……………….(Place)…………on this the (day)………of……..(month)………(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day)…………of…………(month)…………….. (year)………………after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE-G (a)

स्नातकीय पाठ्यकम सत्र 2025–26 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ पत्र

एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं...पंजीकरण संख्या...................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान तथा भविष्य में लागू होने वाले नियमों/परिनियमों का पूर्ण रूप से पालन करूगॉ/करूगी। अपने पूरे अध्ययनकाल में अनुशासित रहूँगा/रहूँगी। तथा मैं अपना आचरण एवं सभी के प्रति व्यवहार अच्छा रखूँगा/रखूँगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रावास के अपने कमरे में आवसित छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र/छात्रा को किसी भी दशा में नही रखूँगा/रखूँगी और न पंखा व बल्ब के अलावा अन्य कियी प्रकार का बिजली का सामान प्रयोग करूगॉ/करूगी। मुझे समय–समय पर पुनरीक्षित/अभिवर्धित बिजली कमरे का किराया तथा अन्य शुल्क मान्य होगें।

यदि मै उपरोक्त अथ्वा अन्य किसी भी नियम/परिनियम को भंग करता हूँ/करती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अनुशासनहीनता की किसी कार्यवाही में भाग लेता/लेती हूँ तो विश्वविद्यालय द्वारा समुचित दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर...

पूरा नाम...

पूरा पता...

ANNEXURE-G (b)

अभिभावक द्वारा शपथ पत्र

मैं...जो श्री / श्रीमती / कुमारी.. का पिता / अभिभावक हूँ ऊपर दिए गए शपथ पत्र के सभी प्राविधानों का अभिभावक के रूप में अपने पुत्र / पुत्री / वार्डस से परिपालन कराने की शपथ लेता / लेती हूँ और साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त अथवा किसी नियम / परिनियम की अवहेलना करने पर मुझे अपने पुत्र / पुत्री / वार्डस के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मान्य होगा।

पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर..

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरो में..

पूरा पता..

छात्र एवं छात्रा के पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रमाणित...

पब्लिक नोटरी का हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक...

ANNEXURE-H

AFFIDAVIT BY THE PARENT/GUARDIAN
(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)

- Mr./Mrs/Ms……………………………………. (Full name of Parent/guardian) father/mother/guardian of………………………………(Full name of student with admission / registration / enrolment number)…………………………………………………… having been admitted to…………………………… (Name of the institution) have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the "Regulations") Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- I hereby solemnly aware and undertake that
    - My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations
    - My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against him under any penal law for the time being in force.
- I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is found to be untrue, my ward is aware that admission is liable to be cancelled.

Declared this……………………day of………………..month of………………….year.

Signature of deponent

Name:...........................

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or mis-stated therein.

Verified at……………….(Place)…………on this the (day)………of……..(month)………(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day)…………of…………(month)…………….. (year)………………after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE-I

अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला गैप शपथ पत्र

समक्षः कुलसचिव, उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ–अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

शपथ पत्र द्वारा श्री/श्रीमती/कु0..पुत्र/पुत्री..

निवासी..जिला..प्रदेश.......................................

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती सशपथ निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:–

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा हालात शपथपत्र से बखूबी वाकिफ है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने हाईस्कूल की परीक्षा सन्.....................में उत्तीर्ण की है।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा सन्.................में उत्तीर्ण की है।
4. यह कि शपथकर्ती ने सन्...........................में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आज तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नही लिया है। सन्.........................से...........................तक घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है।

मै शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त सशपथ तस्दीक करता/करती हूँ कि मजमून शपथपत्र की धारा 1 लगायत 4 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें न कुछ झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

Annexure-J

<u>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रमाण–पत्र</u>

Government of……………………………

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. __________________ Date: __________________

VALID FOR THE YEAR________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari______________________ son/daughter/wife of _______________________ permanent resident of______________ Village/ Street, Post Office __________, District____________ in the State/ Union Territory ___________, Pin Code __________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family"** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ________. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ____________________ belongs to the ________________ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office_______________

Name________________________________

Designation _________________

Recent Passport Size attested photograph of the applicant

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

** Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

*** Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.